**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.**
**राजस्व अपील संख्या : 49/2018**
**जीसीएमएस नम्बर : 2018/00444**

**अपीलाण्ट**

अमतुल्ला उर्फ छोटी पुत्री श्री करीम बक्श पत्नी रज्जाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सोजत सिटी हाल निवासी बिसलपुर तहसील बाली

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार सोजत
2. हब्सा पत्नी हिसामुद्दीन
3. अनवर पुत्र हिसामुद्दीन निवासीगण गीता भवन के पीछे, हकीम कॉलोनी, गली नं 2, जोधपुर
4. बेबी पत्नी रफीक
5. अकरम पुत्र रफीक
6. असरफ पुत्र रफीक
7. जाहिद पुत्र रफीक
8. भूरा पुत्र रफीक
9. इंसाफ पुत्र रफीक
10. साहिरा पत्नी हबीब
11. मो0 आसिफ पुत्र हबीब
12. मो0 यासीन पुत्र हबीब
13. जमसिदा पत्नी साकिर
14. जाकिर पुत्र साकिर
15. मलिक पुत्र साकिर
16. अफसाना पत्नी साबिर
17. रेशमा पुत्री साबिर
18. हीना पुत्री साबिर
19. बरकतुल्ला पुत्र निजामुद्दीन जातिगण मुसलमान निवासीगण हुसैन कॉलोनी, कब्रिस्तान फाटक के सामने, गली नं. 3, जोधपुर।
20. बतुल पुत्री करीम बक्श पत्नी उमर खां जाति मुसलमान निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर
21. प्रकाश चन्द्र पुत्र मूलजी जाति माली
22. गणपतलाल पुत्र मूलजी जाति माली
23. रतनचन्द्र पुत्र कालुराम जाति माली

अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

24. धर्मीचन्द पुत्र कालुराम जाति माली निवासीगण मालियों का बड़ा बास, सोजत सिटी
25. लक्ष्मण पुत्र हीरालाल
26. पुखराज पुत्र हीरालाल
27. भंवरलाल पुत्र शिव जी जाति माली निवासगण बेरा निम्बडिया, सोजत सिटी
28. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री गोपचन्द जाति माली निवासी दिल्ली दरवाजा, नयापुरा सोजत सिटी
29. कानाराम पुत्र भोलाराम जाति माली निवासी दिल्ली दरवाजा, पशु चिकित्सालय के पास, सोजत सिटी
30. मुमताज शाह
31. मकबूल शाह
32. मनवर शाह
33. ईकबाल शाह पि0 महमूद शाह जाति फकीर निवासीगण खरादियों की मस्ज़िद, सोजत सिटी

**"राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"**

उपस्थिति –

1. श्री गोपाल आचार्य, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना, सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 21 से 33

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

**–:: निर्णय ::–**

दिनांक : 11/12/2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार, सोजत द्वारा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 584 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 17.12.1986 को अपास्त कराने का निवेदन किया, साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील दंर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए बहस सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के पूर्वज खुदाबक्श पुत्र नूरा एवं अब्दुल रहमान, करीब बक्श पुत्र खुदाबक्श जाति सिलावट मुसलमान के नाम जोधपुर स्टेट द्वारा दिनांक 26.12.1909 को 6230 गज तथा दिनांक 04.06.1912 को 7471 गज का पट्टा जारी किया। जोधपुर स्टेट के आदेश क्रमांक/43 दिनांक 19.06.1912 तथा आदेश क्रमांक 1906 दिनांक 31.12.1909 के क्रम में खसरा नम्बर 316/317, जिसके नये खसरा नम्बर 5679 रकबा 0.79 हैक्टेयर में से 0.53 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 577 खुदाबक्श पुत्र नूरा एवं अब्दुल रहमान, करीब बक्श पुत्र खुदाबक्श जाति सिलावट मुसलमान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात खुदाबक्श पुत्र नूरा एवं अब्दुल रहमान, करीब बक्श पुत्र खुदाबक्श फौत होने पर उनको लाऔलाद फौत होना अंकित करते हुए उक्त आराजी जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 17.12.1986 के जरिये मुस्मात मेहमूना बेवा अब्दुल रहमान, मुस्समात रहमत बेवा करीम बक्श के नाम से खातेदारी दर्ज की गई, जबकि अब्दुल रहमान एवं करीम बक्श के विधिक वारिशान मौजूद थे। इसके बावजूद भी उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया। इसके पश्चात मु. मेहमूना बेवा अब्दुल रहमान व मु0 रहमत बेवा करीम बक्श द्वारा उक्त आराजी को बेचान किया जाना अंकित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 588 दिनांक 25.01.1986 को दायर कर उक्त आराजी मुमताज शाह, मकबूल शाह, मनवर शाह, इकबाल शाह के नाम बतौर खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकार जिस दिनांक को खरीदकर्ता का नामान्तरकरण दायर किया गया है, उस दिनांक को जिन व्यक्तियों द्वारा बेचान किया गया है, वे राजस्व रेकर्ड में खातेदार ही दर्ज नहीं थे। इस सम्बन्ध में तहसीलदार सोजत एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सोजत द्वारा भी उक्त भूमि खातेदारी से हटाकर सिवायचक करने एवं नगर पालिका के नाम दर्ज करवाने हेतु कार्यवाई की, जो विभिन्न न्यायालयों द्वारा खारिज़ की गई। वस्तुतः जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी, जो अपीलाण्ट के पूर्वज फौत होने पर अपीलाण्ट की माता एवं अन्य के नाम दर्ज की गई, जबकि उक्त आराजी में अपीलाण्ट का भी हक हिस्सा निहित है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण अपास्त करवाते हुए ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 5679 रकबा 0.53 हैक्टेयर किस्म गै.मु. भाकर के स्थान पर रकबा 0.79 हैक्टेयर दर्ज करते हुए अब्दुल रहमान, करीम बक्श के विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है एवं जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1986 में भरा गया था। जैर अपील आराजी के संबध में विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 1987 से वाद दर्ज हुए है एवं उनका निस्तारण हुआ है जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को थी लेकिन अपीलाण्ट ने अपने म्याद प्रार्थना पत्र में यह अवगत कराया कि जैर नामान्तरकरण के बारे में जानकारी सन् 2017 को हो गई थी, जो स्वीकार योग्य नही है, चुकि अपीलाण्ट यह अपील नामान्तरण भरे जाने एवं जानकारी होने के लगभग 31 वर्ष बांद प्रस्तुत की है जो कि पूर्णतया म्याद बाहर है। अतः अपीलाण्ट द्वारा आधारहीन अपील प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Sd/

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

रेस्पोडेन्ट संख्या 21 से 33 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 30 से 33 द्वारा मुस्मात मेहमूना बेवा अब्दुल रहमान, मुस्समात रहमत बेवा करीम बक्श से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई है तथा इसके पश्चात उक्त आराजी में से सिलसिलेवार रेस्पोडेन्ट संख्या 21 से 29 के पक्ष में बेचान हस्तान्तरण किया गया है। इस भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा विभिन्न न्यायालयों में वाद आदि प्रस्तुत किए है, जो अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णीत हुए है। जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व से ही रही है, इसके बावजूद भी मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज़ योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है, वह नियमित वाद के जरिये ही संभव है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किए गए थे, वे वाद भी अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित हुए है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण को चुनौती देकर अनुचित अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज़ करवाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा जैर अपील नामान्तरकरण एवं सम्बन्धित दस्तावेजात् का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण पर दिनांक 17.12.1986 को निर्णय पारित किया हैं। उक्त निर्णय पारित किये जाने के 31 वर्ष 9 माह के पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। अपीलाण्ट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में विलम्ब को क्षमा करने हेतु जो आधार लिए गए है, उसमें स्वयं अपीलाण्ट द्वारा यह अंकित किया है कि उक्त नामान्तरकरण को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सोजत द्वारा वर्ष 1987 में चुनौती दी गई इसके पश्चात तहसीलदार सोजत द्वारा भी उक्त नामान्तरकरण को आगे से आगे चुनौती दी गई है तथा वर्तमान में एक याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी लम्बित होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि नामान्तरकरण की अपीलाण्ट को जानकारी ही नहीं हो, जबकि उनके द्वारा जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में चाराजोही की गई है।

जहां तक अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, के शमन का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अपने निर्णयों में व्यवस्थाऐं प्रदान की है। इस सम्बन्ध में आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939 डी. गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार इसी प्रकार RRD May, 2007 page 311 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, Section 5-C.P.C., Section 100-Delay in filing secong appeal-Judgment passed by first appellate court on 16.08.2003-Appeal filed by appellant on 19.12.2003 claiming knowledge of judgment on 07.12.2033 No explanation given for not filing appeal immediately-

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

Held, appellant was taking the matter leisurely and at his own convenience-Delay, not condoned. इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" उपरोक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही हो तथा उक्त कारण के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण हस्तगत अपील परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अब यदि प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाता है तो स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण खुदाबक्श पुत्र नूरा एवं अब्दुल रहमान, करीब बक्श पुत्र खुदाबक्श के वारिशान के तौर पर मात्र उनकी पत्नि मुस्मात मेहमूना बेवा अब्दुल रहमान, मुस्समात रहमत बेवा करीम बक्श के नाम दायर किये जाने पर एतराज़ किया है, जिसका मुख्य आधार अपील मीमो के पेज संख्या 3 पर अंकित सज़रा खानदान को लिया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है, जिससे अधिकारों का सृजन नहीं होता है। इस सम्बन्ध में आर.आर.डी. 1957 पेज 170 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "नामान्तरकरण का उद्देश्य पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों के विषय में सूचना देना है। नामान्तरकरण के विषय में निर्णय स्वामित्व के लिए अन्तिम निर्णय नहीं होता, यह तो वित्तीय प्रकृति की कार्यवाही है।" इसी प्रकार आर. आर.डी. 1986 पेज 26 में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "नामान्तरकरण केवल राजस्व की वसूली किस व्यक्ति से की जावे, का ही प्रमाण है। यह किसी व्यक्ति विशेष पर भूमि के स्वामित्व का अधिकार नहीं देता। अतः किसी भी का हस्तान्तरण होने पर प्रलेख का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। केवल कब्जे के हस्तान्तरण के आधार पर नामान्तरकरण नहीं किया जा सकता है।" इसी प्रकार विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नामान्तरकरण से किसी प्रकार के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है, अधिकारों के सृजन हेतु नियमित वाद ही अन्तिम उपचार है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 21 से 33 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए है, जिनमें अपीलाण्ट द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जाना एवं उक्त वाद खारिज़ होना जाहिर किया, जिस पर अपीलाण्ट ने किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं किया है। यह स्थिति अपीलाण्ट की स्वीकारोक्ति को दर्शित करता है, जिसके पश्चात इस बिन्दु पर किसी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। हस्तगत अपील के माध्यम से अधिकारों का सृजन एवं क्षेत्रफल में संशोधन का अनुतोष चाहा है, जिसके

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

लिए नियमों में सुसंगत प्रावधान पृथक से उपलब्ध है। नामान्तरकरण अपील के माध्यम से उक्त अनुतोष प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील परिसीमा से बाधित होने एवं गुणावगुण पर विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम सोजत I के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 17.12.1986 को यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner